कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी दि० 07/ii/24 जनपद-बलिया

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

आईडी संख्या: **UPFS/2020/24424/BAL/BALLIA/72/CFO**

दिनांक: **07-02-2024**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **MYTECH CONVENT SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **215 1 215 2 223 224S** [illegible] **311 312 313,BHARAULI,BALLIA** तहसील - **BALLIA SADAR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
MYTECH CONVENT SCHOOL	2	0	7.92 mt

तथा प्लाट एरिया **2615 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **MYTECH CONVENT SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा [illegible] नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक [illegible] आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनाँक **07-02-2024** को [illegible] स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAM BABU** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुरूप [illegible] स्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal offire & Life Safety [illegible] ertificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **07-02-2024** से **06-02-2027** तक 3 [illegible] लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का [illegible] निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

Note : ALL REQUIRED FIRE FIGHTING SYSTEM ARE AVAILABLE AND INSTALLED. उपरोक्त तथा आपात सेवाये अधिनियम 2022 के धारा-26(5) दिनांक 13-12-2022 के तहत भवन से स्थापित अग्नि उपकरणों की रख-रखाव एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र किसी trained एवं qualified एजेंसी/व्यक्ति द्वारा वर्ष में दो बार (जनवरी व जुलाई) में मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे ।प्रत्येक माह फायर mock drill , स्टाफ की फायर ट्रेनिंग , documentation मानको के अनुसार करना आवश्यक होगा । भवन का अधिभोग अथवा [illegible] परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा उक्त शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी / प्रबन्धक की होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त समझा जाय ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इसके आधार पर दूसरे पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

DHIRENDRA SINGH YADAV

E40AD6B11A9463925D432173571C8D0[illegible]

07-02-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : **07-02-2024**

स्थान : **BALLIA**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the QR at departmental portal of UP Fire Service